प्रेस नोट,जनपद फतेहपुर
दिनांक 22.01.2026

थाना मलवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बाजापुर नाले से अज्ञात महिला व 1.5 वर्षीय बच्ची की हत्या कर छिपाये गये शव की घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्ता सहित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक - 21.10.2024 को समय करीब 04.30 बजे राहगीर के माध्यम से थाना मलवा फतेहपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि कैंची मोड़ से बिन्दकी जाने वाले मार्ग ग्राम बाजापुर के पास नाले मे एक अज्ञात महिला उम्र करीब 30 वर्ष व एक बच्ची उम्र करीब 1.5 वर्ष नाम व पता अज्ञात का शव दिखाई दे रहा है उक्त सूचना पर तत्काल थाना मलवा फतेहपुर की पुलिस सम्बन्धित स्थान पर पहुंची तथा जिसके सम्बन्ध में थाना मलवां जनपद फतेहपुर पर ग्राम चौकीदार किशुनपाल पुत्र स्व भदई निवासी ग्राम बाजापुर मजरे चखेड़ी थाना मलवा जनपद फतेहपुर की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 242/2024 धारा 103(1)/238 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना प्रारम्भ मे थानाध्यक्ष मलवा फतेहपुर श्री अभिलाष तिवारी द्वारा सम्पादित की जा रही थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर द्वारा उक्त अभियोग के सफल अनावरण हेतु एसआईटी गठित करते हुये उक्त अभियोग का विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर को नियुक्त किया गया।

घटना के सफल अनावरण का विवरणः-

1.थाना मलवा पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 242/2024 से सम्बन्धित अज्ञात महिला तथा बच्ची के शव की शिनाख्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा था एवं शव की शिनाख्त करने के क्रम में विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बरामद शव के फोटो, पम्पलेट को प्रसारित किया गया था इसके अतिरिक्त अलग अलग जनपद मे जाने वाली रोडवेज बस, ट्रेन आदि में भी बरामद महिला एंव बच्ची की फोटो पम्पलेट को चस्पा किया गया था।

2.इसी क्रम में दिनांक 13.01.2026 को थाना मलवा पर एक व्यक्ति उपस्थित हुआ जिसके द्वारा अपना नाम रामबहादुर पुत्र स्व0 पंचमलाल निवासी ग्राम टीकरभाऊ थाना नरवल जनपद कानपुर नगर बताया गया। रामबहादुर उपरोक्त के द्वारा बरामद अज्ञात महिला एंव बच्ची की फोटो देखकर पहचान करते हुए महिला का नाम दुर्गा देवी तथा बच्ची का नाम अनन्या बताया तथा रामबहादुर उपरोक्त के द्वारा यह भी बताया गया कि महिला दुर्गा देवी उसकी बहू है एंव बच्ची अनन्या उसकी नातिन है।

3.रामबहादुर उपरोक्त से थाना मलवा पर क्षेत्राधिकारी नगर एवं प्र0नि0 थाना मलवा के द्वारा घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो रामबहादुर के द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार ग्राम कापिल किशुनपुर थाना जहानाबाद से 02 संदिग्ध व्यक्तियों सोनेलाल की मां श्रीमती रामरती पत्नी बाबूराम एंव सोनेलाल का जीजा मनोज कुमार पुत्र प्रभूलाल निवासी ग्राम बसन्ती खेड़ा थाना बिन्दकी फतेहपुर से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दुर्गा देवी मेरे पुत्र सोनेलाल तथा हमारे पीछे पड़ गयी थी वो किसी भी तरह से सोनेलाल के साथ शादी करना चाहती थी। हम लोगो के न मानने पर पहले दुर्गा देवी के द्वारा महिला थाने पर मुकदमा लिखाया गया फिर हम लोग साथ रखने को तैयार हो गये।

4. दुर्गा देवी ने महिला थाने पर पंजीकृत कराये गये अभियोग में सुलह करके मुकदमा समाप्त करा दिया किन्तु उसके बाद कुछ ही दिन दुर्गा देवी को रखने के बाद दुर्गा देवी तथा उसकी पुत्री को फिर से घर से भगा दिया तो दुर्गा देवी फिर से हमे परेशान करने लगी। ये सारी बाते रामरती तथा मनोज कुमार के द्वारा फोन के माध्यम से सोनेलाल को बतायी तथा तीनो ने मिलकर दुर्गा देवी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

5.सोनेलाल तथा उसके बहनोई मनोज कुमार के द्वारा गांव के ही विकास पुत्र ओमप्रकाश तथा लल्लू पाल पुत्र कल्लू से तय किया कि तुम लोगो को पैसे दें देंगे एंव तुम दोनो दुर्गा देवी तथा उसकी पुत्री अनन्या को मारकर उसकी लाश गायब कर देना। सोनेलाल दुबई से अपने बहनोई मनोज को पैसे भेजता था जिसे मनोज निकालकर रामरती को दिया करता था एवं सोनेलाल की मां श्रीमती रामरती उन्ही पैसो मे से विकास तथा लल्लू पाल को दुर्गा देवी तथा उसकी पुत्री को हमेशा के लिए जान से मारकर रास्ते से हटाने के लिए पैसा देने लगी कभी - कभी मनोज कुमार के द्वारा भी इन दोनो को पैसे दे दिये जाते थे।

6.तत्पश्चात सोनेलाल के बहनोई मनोज ने लल्लू पुत्र कल्लू पाल निवासी ग्राम कापिल किशुनपुर थाना जहानाबाद को दुर्गा देवी का मोबाइल नं0 दे दिया तथा बोला कि पहले तुम दुर्गा देवी को अपने जाल मे बात करके फंसा लो। योजनानुसार लल्लू पाल धीरे - धीरे दुर्गा देवी से फोन पर बात करने लगा एंव उसको अपने विश्वास मे लेने लगा कि मैं सोनेलाल का अच्छा दोस्त हूं तथा तुम्हारा बीजा और पासपोर्ट बनवाकर तुम्हे सोनेलाल के पास पहुंचा दूंगा।

7.दुर्गा देवी धीरे - धीरे लल्लू के झांसे में आ गयी थी। इसी बीच दुर्गा देवी ने 13 /10/2024 को महिला थाने पर आईजीआरएस प्रार्थना पत्र दे दिया जिसमे जांच के लिए महिला थाने पर सोनेलाल की मां रामरती को बुलाया गया तो रामरती अपने साथ अपने दामाद मनोज को भी लेकर गयी एवं योजनानुसार महिला थाने जाने से पहले रामरती एंव मनोज कुमार ने विकास तथा लल्लू पाल को सारी बाते बता दी कि आज दुर्गा देवी फतेहपुर आ रही है।

8.दिनांक 19/10/ 2024 को दुर्गा देवी महिला थाने पर आयी एव इधर से रामरती एंव मनोज कुमार भी गये वहां पर इनके द्वारा दुर्गा देवी को अपने साथ रखने के लिए लिखित रुप से सुलह समझौता कर लिया। उसके बाद करीब दोपहर के तीन बजे सभी लोग महिला थाने से निकले लल्लू पाल ने दुर्गा देवी से बात किया और कुंवरपुर मे चल रहे मेले मे घुमाने के लिए बोला तथा अपने साथी विकास को ओमनी कार लेकर पटेलनगर के पास भेज दिया जहां से विकास के द्वारा दुर्गा देवी तथा उसकी बच्ची को ओमनी कार में बिठाकर ये लोग कुंवरपुर के पास मेले मे ले गये एंव विकास के द्वारा रास्ते मे ही फुसलाकर दुर्गा देवी का मोबाइल ले लिया गया था।

9.विकास तथा लल्लू पाल ने मिलकर दुर्गा देवी तथा उसकी बच्ची की हत्या करके उन दोनो की लाश को कैंची मोड़ के पास ग्राम बाजापुर नाले में फेंक दिया तथा घटना मे प्रयुक्त चाकू को भी छिपा दिया गया।

10.घटना की सत्यता के सम्बन्ध मे लल्लू पाल एंव विकास कुमार तथा मृतका के मोबाइल नं0 की सीडीआर निकाल कर गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया तो आरोपी लल्लू पाल की मृतका दुर्गा देवी से कई बार बात होना पाया गया एंव दिनांक 19.10.2024 को आरोपी लल्लू पाल तथा विकास की लोकेशन साथ - साथ एवं घटनास्थल के आस पास की होना पायी गयी एंव आरोपी लल्लू पाल तथा विकास की आपस मे काफी लम्बी लम्बी वार्ता होना पाया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी सोनेलाल के द्वारा अपने बहनोई मनोज कुमार के खाते मे अलग अलग तिथि पर काफी मात्र मे पैसा ट्रान्सफर किया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोपी 1. सोनेलाल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम कापिल किशुनपुर थाना जहानाबाद के द्वारा दुर्गा देवी तथा उसकी बच्ची को अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने बहनोई आरोपी 2. मनोज कुमार पुत्र प्रभूलाल निवासी बसन्तीखेड़ा थाना बिन्दकी फतेहपुर एंव अपनी मां 3. श्रीमती रामरती पत्नी बाबूराम के साथ मिलकर आपराधिक षणयन्त्र करते हुए योजनाबद्ध तरीके से आरोपी 4. लल्लू पाल पुत्र कल्लू 5. आरोपी विकास कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण ग्राम कापिल किशुनपुर थाना जहानाबाद फतेहपुर को पैसे देकर दुर्गा देवी की हत्या कराकर लाश को छिपा दिया गया था। जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 242/2024 मे धारा 61(2) क बीएनएस एंव 3 (2)5 एससी एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुये। अभियुक्ता 1. श्रीमती रामरती पत्नी बाबूराम निवासी ग्राम कापिल किशुनपुर थाना जहानाबाद तथा अभियुक्त 2. मनोज कुमार पुत्र प्रभूलाल निवासी ग्राम बसन्तीखेड़ा थाना बिन्दकी फतेहपुर गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों विधिक कार्यवाही के क्रम में मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

अन्य आरोपीगण के सम्बन्ध मे जानकारी से ज्ञात हुआ कि आरोपी सोनेलाल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम कापिल किशुनपुर थाना जहानाबाद फतेहपुर वर्तमान समय में दुबई में है। इसके अतिरिक्त आरोपी 1. लल्लू पाल पुत्र कल्लू निवासी ग्राम कापिल किशुनपुर थाना जहानाबाद फतेहपुर 2. विकास कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम कापिल किशुनपुर थाना जहानाबाद फतेहपुर वर्तमान समय मे मु0अ0सं0 26/2025 धारा 103 (1)/109/61(2) बीएनएस एंव 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना हाथरस कोतवाली जनपद हाथरस मे गिरफ्तार होकर जिला कारागार जनपद हाथरस मे निरुद्ध है। जिनको विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट जनपद हांथरस के द्वारा मृत्युदण्ड एवं बीस - बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड किया गया है।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक एव समयः-

थाना मलवा जनपद फतेहपुर, दिनांक 22.01.2026 व समय 10.38 बजे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नामपता-

1.मनोज कुमार पुत्र प्रभुलाल निवासी ग्राम बसंती खेडा थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर उम्र करीब 30 वर्ष।

2.श्रीमती रामरती पत्नी बाबूराम निवासी कापिल कुशपुर थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र करीब 50 वर्ष।

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्ता श्रीमती रामरतीः-

1.म0अ0सं0 242/2024 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना मलवा जनपद फतेहपुर

2.म0अ0सं0 19/2023 धारा 323/376/496 भादवि महिला थाना जनपद फतेहपुर।

2.अभियुक्त मनोज कुमारः-

1.म0अ0सं0 242/2024 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना मलवा जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. निरीक्षक श्री राजकिशोर प्रभारी निरीक्षक थाना मलवा जनपद फतेहपुर।
2. का0 अमित कुमार यादव
3. म0का0 संगीता यादव